अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
एफएसएस एक्ट, 2006	06/11/2019

...पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
--आवेदक

बनाम

... शर्मा पुत्र श्री जबर लाल उम्र 27 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवारी पुरोहितों का बास ,ग्राम फीच तह0 ... (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) –फर्म – जोधपुर स्वीट एण्ड नाश्ता हाउस, प्राईवेट बस स्टेण्ड , ... सिंह पेट्रोल पम्प के सामने गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक. 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 15.03.2019 को समय 03:00 पी0एम0 पर मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड नाश्ता हाउस पर पहुँचा वहां पर गोत्तम शर्मा पुत्र श्री जबर लाल शर्म उपस्थित था। विक्रेता की उपस्थिति मे दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा वर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) दुकान मे स्टील की टंकी में रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ मावा वर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 400/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाये आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ मावा वर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) ... किलोग्राम को चार बराबर–बराबर भागो में विभक्त कर कांच की शिशियों मे भरकर 40–40 बूंदें फार्मोलिन की डालकर अच्छी तरह से बन्द किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूना का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 1626 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया । प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेफर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हसतक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूने भागो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय मे पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गोहम्मद असालम वार्ड बॉय , कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2019/1001 दिनांक 24.04.2019 के द्वारा ज्ञात ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 192/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/176 दिनांक 28.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया। नमूने की पुन जांच आवेदन पर पुनः जाचं करवायी गई जो जांच सटिफिकेट नं0 आरएफएल/डीओ/390/... अनुसार अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण मे जांच सटिफिकेट नं0 आरएफएल/डीओ/390/19/... अनुसार ... कारोबारकर्ता द्वारा अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर ... सुरक्षा ...

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

...की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ... दण्डनीय अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिक... ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

...संबंधित आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण ... तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी...

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा अभियुक्त ... डर दिखाकर खाली कागजो मे हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। जिसका आवेदक द्वारा गलत ... किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त नमूने की कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं की गई है ना ही ... क्रय खाद्य पदार्थ का कोई भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत व फर्जी ... की गई है। अभियुक्त एक किराये की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ... अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति नरमी रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु ... किया है।

मैंने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ... पत्रावली मे संलग्न रेफरल प्रयोगशाला पुणे की जांच जांच सर्टिफिकेट नं0 आरएफएल/डीओ/390/... डी/2019 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा मावे नमूना जांच विक्रय किया ... खाद्य पदार्थ अवमानक का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष मे ... खाद्य पदार्थ अवमानक प्रकृति का नहीं होने के संबंध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत ... किये है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत ... है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता ... लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को ...000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा ... अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे ... चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करें अन्यथा ... दर गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं ... एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य ... स्थिति मे आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी